

## डफिल्ट ज़मानत का अधिकार

यह एडिटोरियल 16/05/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "A Court recall that impacts the rights of the accused" लेख पर आधारित है। इसमें डफिल्ट ज़मानत पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के नियम और इससे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

### प्रलिमिस के लिये:

डफिल्ट ज़मानत, सर्वोच्च न्यायालय, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 167, अनुच्छेद 21, मूल अधिकार।

### मेन्स के लिये:

डफिल्ट ज़मानत और संबंधित प्रावधान, प्रक्रिया और विधियों में तरक्की, आगे की राह

ज़मानत (Bail) कर्सी ऐसे व्यक्तियों की अस्थायी रहिई को संदर्भित करता है जिसे गरिफ्तार किया गया है या उसे कर्सी अपराध के लिये आरोपित किया गया है और उस पर विचारण (Trial) या न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति लिंबति है।

केंद्रीय अन्वेषण एजेंसियों द्वारा आरोप-पत्र (चार्जशीट) दाखिल करने में 'कठनाइयों का सामना करने' संबंधी आग्रह पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल के एक नियम में निचली अदालतों को निर्देश दिया कि वे १३२१ १३२२ १३२३ १३२४ १३२५ १३२६ १३२७ १३२८ १३२९ १३२३ १३२४ १३२५ १३२६ १३२७ १३२८ १३२९ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नियम को आधार बनाए बना, अरथात् स्वतंत्र रूप से, लंबति डफिल्ट ज़मानत आवेदनों पर नियम ले सकते हैं।

यह नियम चतिजनक है क्योंकि:

- यह डफिल्ट ज़मानत के अधिकार को कमज़ोर कर सकता है।
- आरोपी के संवैधानिक अधिकारों पर अन्वेषण अधिकारियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- नियम का अभियुक्तों के संवैधानिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।
- प्रशासनिक सुविधा के लिये प्रक्रियात्मक वैधता (Procedural Legitimacy) का त्याग नहीं किया जाना चाहयि।

### डफिल्ट ज़मानत क्या है?

- व्यक्तिगत ज़मानत या डफिल्ट ज़मानत (Default Bail) उस प्रदृश्य में अर्जित ज़मानत का अधिकार है जब पुलिस न्यायिक हिस्सत में रखे गए कर्सी व्यक्तिके संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है।
  - इसे सांवधिक ज़मानत (Statutory Bail) के रूप में भी जाना जाता है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 167(2) में इसे प्रतिष्ठापित किया गया है।
- संहिता की धारा 167 (1) के अनुसार, यदि प्रतीत हो कि 24 घंटे की अवधि के अंदर अन्वेषण पूरा नहीं किया जा सकता है तो पुलिस द्वारा संदर्भित व्यक्तिको नकिटम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने और पुलिस या न्यायिक हिस्सत के लिये आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
- धारा 167(2) के तहत, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को 15 दिनों तक पुलिस हिस्सत में रखने का आदेश दे सकता है। 15 दिनों की पुलिस हिस्सत अवधि से आगे के लिये मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को न्यायिक हिस्सत में नियुक्त करने के लिये प्राधिकृत किया जा सकता है, जहाँ अभियुक्त को निम्नलिखित अवधि से अधिक के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता:
  - 90 दिन से अधिक की अवधि के लिये, जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिये कारावास से दंडनीय है;
  - 60 दिन से अधिक की अवधि के लिये जहाँ अन्वेषण कर्सी अन्य अपराध की जांच करने के संबंध में है;
  - नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट जैसे कुछ वशीष कानूनों के मामले में यह अवधि भिन्न हो सकती है।
- यदि इस अवधि के अंत तक जाँच पूरी नहीं होती है तो न्यायालय उस व्यक्तिको रहिया कर देगी 'यदि वह ज़मानत के लिये तैयार है और इसे प्रस्तुत करता है।' इसे डफिल्ट ज़मानत के रूप में जाना जाता है।

## रत्नु छाबड़या केस

- रत्नु छाबड़या मामले के नियमित न्यायालय ने कहा कि **आपराधिक प्रक्रिया संहति (CrPC)** की धारा 167 (2) के तहत डफिलेट ज़मानत का अधिकार केवल एक सांवधिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक **मूल अधिकार** है जो अभियुक्तों की 'राज्य की अबाध और मनमानी शक्ति' से रक्षा के लिये संवधिन के **अनुच्छेद 21** से शक्तिप्राप्त करता है।"
- रत्नु छाबड़या मामले में न्यायालय ने नियमित दिया कि जाँच पूरी कथि बनि जाँच एजेंसी द्वारा दायर कथि गया गया अपूरण आरोप-पत्र अभियुक्त के डफिलेट ज़मानत के अधिकार को पराजित नहीं करेगा।
  - इस मामले में देखा गया कि जाँच अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से 60/90-दिनों की अवधि के भीतर अपूरण या पूरक आरोप-पत्र दायर कथि गया ताकि अभियुक्त को डफिलेट ज़मानत की मांग करने से अवश्यक नहीं करेगा।

## डफिलेट ज़मानत से संबंधित अन्य मामले

- **सीबीआई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित दिया कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त की गरिफ्तारी के बाद अधिकतम 15 दिनों के लिये पुलसि हरिसत को प्राधिकृत कर सकता है। इस अवधि के बाद, कोई और नियमित न्यायिक हरिसत के रूप में होनी चाहिये, उन मामलों को छोड़कर जहाँ वही अभियुक्त कसी अन्य घटना या संव्यवहार से उत्पन्न एक अलग मामले में आरोपित बनाया जाता है। ऐसी स्थितियों में मजिस्ट्रेट पुलसि हरिसत को फरि से प्राधिकृत करने पर विचार कर सकता है।
- **उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001):**
  - संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य के नियमित को आधार लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त द्वारा डफिलेट ज़मानत के अपने अधिकार का उपयोग करना तब माना जाएगा जब उसने उसके लिये ही आवेदन कथि हो, न कि उसे जहाँ उसे डफिलेट ज़मानत पर रहिया कर दिया गया है।
  - यदि अभियुक्त के पक्ष में डफिलेट ज़मानत का आदेश पारति कथि जाता है, लेकिन वह ज़मानत देने में वफ़िल रहता है और इस बीच आरोप-पत्र दायर कर दिया जाता है तो डफिलेट ज़मानत का उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा।
- **अचंपाल बनाम राजस्थान राज्य (2018):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित दिया कि कोई जाँच रपोर्ट, भले ही पूर्ण हो, यदि यह एक अनधिकृत जाँच अधिकारी द्वारा दायर की जाती है तो अभियुक्त को डफिलेट ज़मानत का लाभ उठाने से अवश्यक नहीं कथि जा सकता है।
- **जसवार सहि बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकारी (2023):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित दिया कि कोई अभियुक्त इस आधार पर डफिलेट ज़मानत मांगने का हक़दार नहीं है कि आरोप-पत्र (यद्यपि वह अपेक्षित अवधि के भीतर दायर कथि गया है) दंड प्रक्रिया संहति की धारा 167 (2) के तहत मंजूरी की कमी के कारण 'अपूरण' बना हुआ है।

## डफिलेट ज़मानत के पक्ष में तर्क

- **निर्दोषता की धारणा:** डफिलेट ज़मानत 'दोषी सदिध होने तक निर्दोष' (innocent until proven guilty) के मौलिक सदिधांत को अक्षुण्ण रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि जिन व्यक्तियों पर अपराध का आरोप लगाया गया है, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अनिश्चितिकालीन पूर्व-विचारण नियम के अधीन नहीं रखा जा सकता।
- **नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा:** डफिलेट ज़मानत नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्राप्ति साक्षय और एक औपचारिक विवाह के बनि लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कथि जाए; इस प्रकार, नियमित एवं न्याय के सदिधांतों का प्रसार करती है।
- **पुनर्वास और स्थापन को बढ़ावा देना:** डफिलेट ज़मानत अभियुक्तों को पुनर्वास और स्थापन के लिये अपने समुदायों में बने रहने में मदद करती है, जहाँ वे कार्य करने और अपने परिवारों का पोषण करने से संलग्न होते हैं; इस प्रकार, दोषी नहीं पाए जाने पर उनके सफल पुनर्स्थापन की संभावना बढ़ जाती है।
- **शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश:** डफिलेट ज़मानत जाँच एजेंसियों द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के विविध सुरक्षा के रूप में कार्य करती है। यह अधिकारियों को साक्षय पेश कथि बनि और उपयुक्त अवधि के भीतर आरोप तय कथि बनि अनुपयुक्त तरीके से व्यक्तियों को हरिसत में रखने से रोकती है।
- **नियमित और स्वतंत्रता में संतुलन:** डफिलेट ज़मानत संभावित फरारी जोखमियों को रोकने की आवश्यकता और कसी व्यक्तिकी स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के बीच संतुलन का नियमित करती है। यह न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा नियमित समयसीमा के भीतर साक्षय पेश कर सकने की क्षमता के अधार पर नियमित नियमित में रखने की आवश्यकता का आकलन कर सकने का अवसर देती है।
- **जेलों में भीड़भाड़ को कम करना:** डफिलेट ज़मानत यह सुनिश्चित करके **जेल की भीड़भाड़** को कम करने में मदद करती है कि जिन व्यक्तियों पर तुरंत आरोपित दाखिल नहीं कथि गया है या जिन पर मामले कमज़ोर हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से हरिसत में नहीं रखा जाए। यह जेल संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग में योगदान देती है।

## डफिलेट ज़मानत के विपक्ष में तर्क

- संभावति रूप से खतरनाक व्यक्तियों को ज़मानत देने का जोखिमि: जब अभियोजन पक्ष निरिधारति समय अवधि के भीतर आरोप दाखलि करने में वफिल रहता है तो डफिलेट ज़मानत दी जाती है। ऐसे मामलों में स्वतः ज़मानत देना जोखिमि उत्पन्न कर सकता है यदि अभियुक्त संभावति रूप से खतरनाक व्यक्ति है या समाज के लिये खतरा है। यह सार्वजनिक सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है और प्रभावी कानून प्रवरत्न में बाधा डाल सकता है।
- जाँच प्रक्रिया को कमज़ोर करना: स्वतः ज़मानत प्रावधान संभावति रूप से जाँच प्रक्रिया को कमज़ोर कर सकते हैं। यदि अभियुक्त को आरोप दायर किया बना डफिलेट ज़मानत पर रहा कर दिया जाता है तो यह स्थैतिक साक्षय इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न सकती है या एक मज़बूत मामला बनाने की अभियोजन पक्ष की क्षमता को बाधति कर सकती है। इससे न्याय मिलिना कठनी हो सकता है और मामलों के निषिक्ष समाधान में बाधा आ सकती है।
- जवाबदेही और सार्वजनिक धारणा: इससे यह भ्रम उत्पन्न हो सकता कि अभियुक्त उचित प्रक्रिया का सामना किया बना या अपने कथति अपराधों के लिये जवाबदेह ठहराए बना छूट रहे हैं।
- पीड़ितों के अधिकारों को कमज़ोर करना: स्वतः ज़मानत देने से पीड़ितों के समयबद्ध न्याय पाने के अधिकार बाधति हो सकते हैं और मामले में शामलि वभिन्न पक्षों के प्रतीक्षियों में अन्याय या असमानता की भावना उत्पन्न हो सकती है।

## आगे की राह

- समयसीमा की समीक्षा और परशिओधन: गहन जाँच सुनिश्चित करने और अनावश्यक देरी से बचने के लिये मामले की जटिलता के आधार पर आरोप दाखलि करने की मौजूदा समयसीमा की समीक्षा और परशिओधन की आवश्यकता है।
- न्यायकि विविक को संलग्न करना: न्यायपालिका को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये जोखिमि पैदा करने वाले या जाँच प्रक्रिया में बाधा डालने वाले मामलों में डफिलेट ज़मानत से इनकार करने का विविक प्रदान करने से न्यायाधीशों को व्यक्तिगत परस्थितियों के आधार पर सूचना-संपन्न निरिण्य लेने का अवसर मिल सकता है।
- संवीक्षा और शर्तों की वृद्धिकरना: कड़ी संवीक्षा लागू करने और डफिलेट ज़मानत देने के लिये उपयुक्त शर्तें लागू करने (जैसे किसिंखत रपिएटगि आवश्यकताएँ) की आवश्यकता है।
- कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाना: अवसरचना में निविश, जाँच कषमताओं की वृद्धि, न्यायाधीशों एवं न्यायालय करमचारियों की संख्या बढ़ाने और केस प्रबंधन तकनीकों को लागू करने के माध्यम से कानूनी कार्यवाही में तेज़ी लाइ जाए।
- पीड़िति-केंद्रति दृष्टिकोण का पालन करना: मामले की प्रगति के बारे में समयबद्ध सूचना प्रदान करके पीड़ितों के अधिकारों एवं हातिं को चिह्नित किया जाए और एक संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिये, जहाँ भी उपयुक्त हो, उन्हें ज़मानत निरिण्य लेने की प्रक्रिया में शामलि किया जाए।

**अभ्यास प्रश्न:** हाल की प्रगतियों के आलोक में, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में डफिलेट ज़मानत की अवधारणा की चर्चा करें। अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करने और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने में इसके महत्व का परीक्षण करें।

### यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न.** भारत के संदर्भ में निम्नलिखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. न्यायकि हरिसत का अर्थ है कि एक आरोपी संबंधित मजस्टिस रेट की हरिसत में है और ऐसे आरोपी को पुलसि थाने में बंद कर दिया गया है, जेल में नहीं।
2. न्यायकि हरिसत के दौरान मामले के प्रभारी पुलसि अधिकारी को अदालत की मंजूरी के बना संदर्भ से पूछताछ करने की अनुमति नहीं है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**उत्तर:** B